HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON THURSDAY, THE 18TH MARCH, 2021 AT 10.00 A.M.

I. **QUESTIONS.**

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

II. CALLING ATTENTION NOTICE.

Calling Attention Notice No. 10 (Calling Attention Notice No.14 clubbed with Calling Attention Notice No.10)

Shri Praveen Dagar, MLA

to call the attention of the Minister of Power Shri Varun Chaudhary, MLA regarding releasing pending tubewell connections of the farmers in Haryana.

III. **MOTION UNDER RULE 15.**

A MINISTER

to move that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

IV. **MOTION UNDER RULE 16.**

A MINISTER

to move that the Assembly at its rising this day shall stand

adjourned sine-die.

PAPER TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE. V.

A MINISTER to lay on the Table the Fourteenth Report on implementation of the Right to Information Act, 2005 (1.1.2019 to 31.12.2019) of State Information Commission Haryana, as required under section 25 (4) of the Right to Information Act, 2005

PRESENTATION OF REPORTS OF THE ASSEMBLY COMMITTEES. VI.

A MEMBER OF THE 1 RULES COMMITTEE to move that the Final Report of the Rules Committee containing the recommendations of the Committee regarding amendments in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, as required under rule 242 ibid may be passed.

2. THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

to present the Forty Eighth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2020-2021.

3. THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON **GOVERNMENT ASSURANCES**

to present the Fiftieth Report of the Committee on Government Assurances for the year 2020-2021.

- 4. THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON PETITIONS
- 5. THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
- 6. THE CHAIRPERSON OF
 THE COMMITTEE ON THE
 WELFARE OF SCHEDULED
 CASTES, SCHEDULED
 TRIBES AND BACKWARD
 CLASSES

- 7. THE CHAIRPERSON OF THE SUBJECT COMMITTEE ON PUBLIC HEALTH, IRRIGATION, POWER AND PUBLIC WORKS (BUILDINGS & ROADS)
- 8. THE CHAIRPERSON OF
 THE SUBJECT COMMITTEE
 ON EDUCATION,
 TECHNICAL EDUCATION,
 VOCATIONAL
 EDUCATION, MEDICAL
 EDUCATION AND HEALTH
 SERVICES
- 9. THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON ESTIMATES

to present the Tenth Report of the Committee on Petitions for the year 2020-2021 on Various Petitions/Representations received by the Committee.

to present the Sixty Seventh Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2020-2021 on the Reports of the Comptroller & Auditor General of India on Public Sector Undertakings (Social, General and Economic Sectors) for the years ended 31st March, 2015, 2016 and 2017.

to present the Forty Fourth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2020-2021 on Reservation/representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in various departments, Central/State Government's Schemes applicable for the welfare of reserved categories, various matters in which suo-moto cognizance was taken i.e. the matter of atrocities against the Scheduled Castes Categories, 100-100 square yards plots allotted/ not allotted/ dispossessed to the reserved categories & not providing the food items as per guideline of "The National Food Security Act, 2013" to the reserved Categories etc. and action taken by the Government on the recommendations contained in its Forty Third Report.

to present the Eighth Report of the Subject Committee on Public Health, Irrigation, Power and Public Works (Buildings & Roads) for the year 2020-2021.

to present the Sixth Report of the Subject Committee on Education, Technical Education, Vocational Education, Medical Education and Health Services for the year 2020-2021 on Health Services and School Education Departments.

to present the Forty Eighth Report of the Committee on Estimates for the year 2020-2021 on the Budget Estimates for 2019-2020 Transport Department.

VII. LEGISLATIVE BUSINESS.

(i) (Bill for introduction, consideration and passing)

The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2021

A MINISTER

to move for leave to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill;

Also to introduce the Bill.

to move that the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

(ii) (Bills for consideration and passing)

 The Haryana Short Titles Amendment Bill, 2021 A MINISTER

to move that the Haryana Short Titles Amendment Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

2. The Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Bill, 2021 A MINISTER

to move that the Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Order Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

3. The Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill, 2021 A MINISTER

to move that the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

4. The Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill, 2021 A MINISTER

to move that the Punjab Labour Welfare Fund (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

5. The Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill, 2021 A MINISTER

to move that the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

6. The Sports University of Haryana Bill, 2021

A MINISTER

to move that the Sports University of Haryana Bill be taken into consideration at

once;

Also to move that the Bill be passed.

CHANDIGARH: THE 17TH MARCH, 2021. RAJENDER KUMAR NANDAL, SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 18 मार्च, 2021 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-10 तथा 14

श्री प्रवीण डागर, एम.एल.ए.

श्री वरूण चौधरी, एम.एल.ए.— हरियाणा में किसानों के लंबित नलकूप कुनैक्शन जारी करने से संबंधित बिजली विभाग के मंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए।

III. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

IV. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

V. सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र।

एक मंत्री

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (1.1.2019 से 31.12.2019) के लागू होने पर राज्य सूचना आयोग, हरियाणा की 14वीं रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।

VI. विधान सभा समितियों की रिपोर्टे प्रस्तुत करना

1. नियम समिति के सदस्य

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के उक्त नियम 242 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार संशोधनों से सम्बधित समिति की दी गई सिफारिशों पर नियम समिति की अंतिम रिपोर्ट पारित की जाए।

2. अधीनस्थ विधान समिति के चेयरपर्सन वर्ष 2020–2021 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 48वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

 सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति के चेयरपर्सन वर्ष 2020—2021 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 50वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

4. याचिका समिति के चेयरपर्सन

समिति द्वारा विभिन्न याचिकाओं / प्रतिनिधित्वों पर वर्ष 2020—2021 के लिए याचिका समिति की 10वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

- लोक उपक्रमों संबंधी समिति के चेयरपर्सन
- 6. अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के चेयरपर्सन

- 7. जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति के चेयरपर्सन
- 8. शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति के चेयरपर्सन
- 9. प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन

31 मार्च, 2015, 2016 तथा 2017 को समाप्त हुए वर्षों के लिए लोक क्षेत्र उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) के लिए भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों पर वर्ष 2020—2021 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 67वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण / प्रतिनिधित्व, आरक्षित श्रेणियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार की लागू योजनाओं, विभिन्न मामले जिनमें स्वतः संज्ञान लिया गया था अर्थात् अनुसूचित जाति की श्रेणियों के विरूद्ध अत्याचारों के मामले. आरक्षित श्रेणियों को 100-100 वर्ग गज के आबंटित किए गए/आबंटित नही किए गए/बेकब्जा किए गए प्लाटों के मामले तथा आरक्षित श्रेणियों इत्यादि को "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013" के दिशा निर्देशों के अनुसार खाद्य वस्तुएं उपलब्ध न करवाने तथा सरकार द्वारा इसकी 43वीं रिपोर्ट में निहित अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही पर वर्ष 2020-2021 के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति की 44वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वर्ष 2020–2021 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की 8वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

स्वास्थ्य सेवाएं तथा विद्यालय शिक्षा विभाग पर वर्ष 2020–2021 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाए विभाग पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की 6वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

वर्ष 2019—2020 के लिए परिवहन विभाग के बजट अनुमानों पर वर्ष 2020—2021 के लिए प्राक्कलन समिति की 48वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

VII. विधान कार्य

(i) (प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

हरियाणा विनियोग **एक मंत्री** (संख्या 2) विधेयक, 2021 हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे;

विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

1.	हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए;
			यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2.	हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
	2021		यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
3.	हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
			यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
4.	पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
	144447, 2021		यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
5.	हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक,	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
	2021		यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
6.	हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2021	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
			यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़ः 17 मार्च, 2021. राजेन्द्र कुमार नांदल, सचिव।